Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **करौली में पटवारी एवं उसका दलाल स्टॉम्प वैण्डर (प्राइवेट व्यक्ति) 8 हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *07 अप्रेल, गुरूवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर दौसा इकाई द्वारा आज हिण्डौन, करौली में कार्यवाही करते हुये राहुल जाट पटवारी हल्का हिण्डौन, तहसील हिण्डौन, जिला करौली को उसके दलाल ईश्वर सिंह धाकड़ स्टॉम्प वैण्डर, तहसील हिण्डौन (प्राईवेट व्यक्ति) के माध्यम से परिवादी से **8 हजार रूपये** की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की दौसा इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि 90ए की कार्यवाही में मौका रिपोर्ट बनाने की एवज में राहुल जाट पटवारी हल्का हिण्डौन, तहसील हिण्डौन, जिला करौली द्वारा उसके दलाल ईश्वर सिंह धाकड़ स्टॉम्प वैण्डर, तहसील हिण्डौन (प्राईवेट व्यक्ति) के माध्यम से **11,500/–रूपये** रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी जोधपुर के **उपमहानिरीक्षक पुलिस श्री विष्णुकान्त** के सुपरवीजन में एसीबी दौसा इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री महेन्द्र कुमार शर्मा** के निर्देशन में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **उप अधीक्षक पुलिस श्री राजेश सिंह** एवं उनकी टीम द्वारा हिण्डौन, करौली में ट्रेप कार्यवाही करते हुए दलाल ईश्वर सिंह धाकड़ पुत्र श्री रामप्रताप निवासी अमृतपुरी, हिण्डौन जिला करौली हाल स्टॉम्प वैण्डर, तहसील हिण्डौन (प्राईवेट व्यक्ति) को परिवादी से **8 हजार रूपये** रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। प्रकरण में आरोपी राहुल जाट पुत्र श्री केदारलाल जाट निवासी ग्राम जटनंगला, तहसील हिण्डौन, जिला करौली हाल पटवारी हल्का हिण्डौन, तहसील हिण्डौन, जिला करौली को भी मौके पर गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।